



Neutral Citation No- 2026: AHC:178840

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 9782/2026

राज कृष्णा

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के लिए अधिवक्ता : रमेश कुमार पांडेय

विपक्षी (गण) के लिए अधिवक्ता : उमा नाथ पांडेय, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी

1. श्री रमेश कुमार पाण्डेय, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री विवेक प्रकाश मिश्रा, श्री उमा नाथ पाण्डेय के स्थान पर ब्रीफ धारण करने वाले अधिवक्ता तथा श्री तेज भान सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अधीन वर्तमान आवेदन, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), न्यायालय संख्या 3, गाजियाबाद द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 375/2023, जो मुकदमा अपराध संख्या 346/2023, धारा 376-AB भारतीय दण्ड संहिता तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(m)/6, थाना-क्रॉसिंग रिपब्लिक, जनपद-गाजियाबाद से उद्भूत है, में पारित दिनांक 18.02.2026 के आदेश को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आक्षेपित आदेश वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विधि की स्थिति पर विचार किए बिना पारित किया गया है। यह भी निवेदित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया है कि दिनांक 17.02.2026 का प्रश्नगत आवेदन, पीडब्लू-3 को आगे की प्रतिपरीक्षा हेतु पुनः बुलाए जाने के लिए प्रस्तावित प्रश्नों सहित, प्रस्तुत किया गया है। यह भी निवेदित किया गया है कि प्रस्तावित प्रश्न पीडब्लू-3 (प्रथम सूचनाकर्ता/पीड़िता की माता) से पूर्व की प्रतिपरीक्षा में नहीं पूछे गए हैं।

4. विचारण न्यायालय ने यह अभिलिखित करते हुए प्रश्नगत आवेदन को निरस्त कर दिया कि पीडब्लू-3 की मुख्य परीक्षा दिनांक 09.08.2024 को अभिलिखित की गई थी तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन दिनांक 10.10.2025 को अभिलिखित किया गया था और तत्पश्चात् वाद प्रतिरक्षा साक्ष्य हेतु सूचीबद्ध है तथा प्रश्नगत आवेदन विचारण की समाप्ति में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने वाद के तथ्यात्मक परिदृश्य का खण्डन नहीं किया है। विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का प्रबल विरोध करते हुए निवेदित किया कि प्रस्तावित प्रश्न अप्रासंगिक हैं।

6. पीडब्लू-3 से पूछे जाने वाले प्रस्तावित प्रश्नों का अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि ये प्रश्न निष्पक्ष विचारण के लिए आवश्यक हैं।

7. डॉ. राजेश तलवार एवं अन्य बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य, (2014) 1 SCC 628 में, उच्चतम न्यायालय ने निष्पक्ष विचारण के प्रश्न पर विचार करते हुए पैराग्राफ 10 में निम्नवत् अभिलिखित किया है:-

“10. इस न्यायालय ने सेल्वी जे. जयललिता एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 154/2013), जिसका निर्णय दिनांक 30.9.2013 को किया गया, में त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1989 एससी 1335; ज़ाहिरा हबीबुल्लाह शेख एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, एआईआर 2006 एससी 1367; कै. अमरीन्दर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल एवं अन्य, (2009) 6 SCC 260; मो. हुसैन उर्फ जुल्फीकार अली बनाम राज्य (एनसीटी सरकार दिल्ली), एआईआर 2012 एससी 750; तथा नताशा सिंह बनाम सीबीआई(राज्य), (2013) 5 एससीसी 741 में अपने पूर्ववर्ती निर्णयों का संदर्भ देने के पश्चात्, निष्पक्ष विचारण के प्रश्न पर विचार करते हुए निम्नवत् अभिलिखित किया:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निष्पक्ष विचारण आपराधिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है और ऐसी निष्पक्षता को किसी भी प्रकार से बाधित अथवा संकटापन्न नहीं किया जाना चाहिए। निष्पक्ष विचारण में अभियुक्त, पीड़ित तथा समाज के हित अन्तर्निहित होते हैं। अतः प्रत्येक अभियुक्त को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की भावना के अनुरूप निष्पक्ष विचारण प्रदान किया जाना चाहिए तथा अभियुक्त को आपराधिक मामले में उस पर अधिरोपित आरोप के संबंध में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, न्यायसंगत तथा युक्तियुक्त विचारण प्राप्त होना चाहिए। लोक अधिकारों एवं कर्तव्यों का कोई भी भंग अथवा उल्लंघन सम्पूर्ण समुदाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और यह सामान्यतः समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। सभी परिस्थितियों में, न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे न्याय-प्रशासन में लोक-विश्वास बनाए रखें और ऐसा कर्तव्य 'विधि की महिमा' को प्रमाणित एवं अक्षुण्ण रखने के लिए है तथा न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों के संबंध में होने वाले उत्पीड़नकारी अथवा दमनात्मक आचरण के प्रति आँखें मूंदकर नहीं रह सकते।

निष्पक्ष विचारण से वंचित किया जाना अभियुक्त के साथ उतना ही अन्याय है जितना कि पीड़ित तथा समाज के साथ। इसके लिए आवश्यक रूप से एक निष्पक्ष न्यायाधीश के समक्ष, एक निष्पक्ष अभियोजक तथा न्यायिक शान्ति के वातावरण में विचारण अपेक्षित है। चूँकि विचारण का उद्देश्य न्याय प्रदान करना, दोषी को दण्डित करना तथा निर्दोष की रक्षा करना है, इसलिए विचारण सत्य की खोज होना चाहिए, न कि तकनीकीताओं पर आधारित कोई संघर्ष, और इसे ऐसे नियमों के अधीन संचालित किया जाना चाहिए जो निर्दोष की रक्षा तथा दोषी को दण्डित करना सुनिश्चित करें। न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है। अतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचारण संविधान के अनुच्छेद 21 की अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। निष्पक्ष विचारण प्राप्त करने का अधिकार न केवल एक मूलभूत अधिकार है, बल्कि एक मानवाधिकार भी है। अतः निष्पक्ष विचारण में कोई भी बाधा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकती है।”

XX XX XX XX

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 12 में निष्पक्ष विचारण के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। अतः निष्पक्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण आपराधिक न्यायशास्त्र का हृदय है और, एक प्रकार से, लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है तथा विधि के शासन द्वारा शासित होता है। निष्पक्ष विचारण से वंचित करना मानवाधिकारों का क्रूस पर चढ़ाया जाना है।”

नताशा सिंह बनाम सीबीआई (राज्य), (2013) 5 एससीसी 741 के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने पी. संजीवा राव बनाम ए.पी. राज्य, एआईआर 2012 एससी 2242 के निर्णय का संदर्भ देते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन विवेकाधीन शक्ति के विस्तार पर विचार किया, जो निम्नवत् है:-

“अभियुक्त को अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का सर्वाधिक निष्पक्ष अवसर प्रदान करना प्रत्येक निष्पक्ष विचारण का उद्देश्य है, जैसा कि इस न्यायालय ने हॉफमैन एन्ड्रियास बनाम सीमा शुल्क निरीक्षक, अमृतसर, (2000) 10 SCC 430 में अभिलिखित किया है। इस संबंध में निम्नलिखित अंश प्रासंगिक है:

‘ऐसी परिस्थितियों में, यदि नवीन अधिवक्ता यह समझे कि महत्वपूर्ण साक्षियों की पुनः आगे परीक्षा की जानी चाहिए, तो न्यायालय न्याय के हित में उदारता एवं व्यापक दृष्टिकोण अपना सकता है, विशेषतः तब, जब संहिता की धारा 311 में निहित प्रावधान के अनुसार इस विषय में न्यायालय के पास अबाधित शक्तियाँ हों। अंततः, विचारण मूलतः बंदियों के लिए होता है और न्यायालयों को उन्हें यथासंभव सर्वाधिक निष्पक्ष ढंग से अवसर प्रदान करना चाहिए।’

XXX XXX XXX XXX

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि साक्षियों को मुख्य रूप से परीक्षित किए जाने के लगभग चार वर्ष पश्चात्, लगभग सात वर्ष पुरानी घटना के संबंध में, साक्षियों को पुनः बुलाए जाने का निर्देश दिया जा रहा है?.. हमारा मत है कि तर्क की समानता के आधार पर तथा साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के अवसर से वंचित किए जाने के परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए, हम अभियोजन को उसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव से बचाने की अपेक्षा अपीलार्थी को अवसर प्रदान करने के पक्ष में त्रुटि करना अधिक उचित समझेंगे। विचारण की निष्पक्षता हमारे न्यायिक तंत्र में एक पवित्र गुण है और उस गुण की रक्षा करने के लिए कोई भी मूल्य अत्यधिक नहीं है। अभियोजन को होने वाला संभावित प्रतिकूल प्रभाव ऐसा मूल्य भी



नहीं है, उस मूल्य की बात तो दूर है, जो अभियुक्त को अपना बचाव करने का निष्पक्ष अवसर देने से इनकार करने को न्यायोचित ठहरा सके।”

8. नताशा सिंह बनाम सीबीआई (राज्य), (2013) 5 एससीसी 741 के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने पी. संजीवा राव बनाम ए.पी. राज्य, एआईआर 2012 एससी 2242 के निर्णय का संदर्भ देते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन विवेकाधीन शक्ति के विस्तार पर विचार किया, जो निम्नवत् है:-

“अभियुक्त को अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का सर्वाधिक निष्पक्ष अवसर प्रदान करना प्रत्येक निष्पक्ष विचारण का उद्देश्य है, जैसा कि इस न्यायालय ने हॉफमैन एन्ड्रियास बनाम सीमा शुल्क निरीक्षक, अमृतसर, (2000) 10 एससीसी 430 में अभिलिखित किया है। इस संबंध में निम्नलिखित अंश प्रासंगिक है:

‘ऐसी परिस्थितियों में, यदि नवीन अधिवक्ता यह समझे कि महत्वपूर्ण साक्षियों की पुनः आगे परीक्षा की जानी चाहिए, तो न्यायालय न्याय के हित में उदारता एवं व्यापक दृष्टिकोण अपना सकता है, विशेषतः तब, जब संहिता की धारा 311 में निहित प्रावधान के अनुसार इस विषय में न्यायालय के पास अबाधित शक्तियाँ हों। अंततः, विचारण मूलतः बंदियों के लिए होता है और न्यायालयों को उन्हें यथासंभव सर्वाधिक निष्पक्ष ढंग से अवसर प्रदान करना चाहिए।’

XXX XXX XXX XXX

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि साक्षियों को मुख्य रूप से परीक्षित किए जाने के लगभग चार वर्ष पश्चात्, लगभग सात वर्ष पुरानी घटना के संबंध में, साक्षियों को पुनः बुलाए जाने का निर्देश दिया जा रहा है?.. हमारा मत है कि तर्क की समानता के आधार पर तथा साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के अवसर से वंचित किए जाने के परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए, हम अभियोजन को उसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव से बचाने की अपेक्षा अपीलार्थी को अवसर प्रदान करने के पक्ष में त्रुटि करना अधिक उचित समझेंगे। विचारण की निष्पक्षता हमारे न्यायिक तंत्र में एक पवित्र गुण है और उस गुण की रक्षा करने के लिए कोई भी मूल्य अत्यधिक नहीं है। अभियोजन को होने वाला संभावित प्रतिकूल प्रभाव ऐसा मूल्य भी



नहीं है, उस मूल्य की बात तो दूर है, जो अभियुक्त को अपना बचाव करने का निष्पक्ष अवसर देने से इनकार करने को न्यायोचित ठहरा सके।”

9. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, नताशा सिंह (उपरोक्त) तथा डॉ. राजेश तलवार (उपरोक्त) में प्रतिपादित विधि की स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है तथा विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह पीडब्लू-3 को केवल प्रश्न संख्या 1, 3 से 21 पूछे जाने हेतु समन करे तथा आवेदन में उल्लिखित प्रश्न केवल पीडब्लू-3 से पूछे जाएँ और आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह पीडब्लू-3 की प्रथम उपस्थिति पर बिना किसी स्थगन के प्रतिपरीक्षा पूर्ण करे।

10. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(संजय कुमार पचौरी, न्यायमूर्ति)

17 अगस्त, 2026

ईशान